UPLK010206422025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

प्रकीर्ण वाद सं०-1051/2025

रंजीत व अन्य **बनाम** तीरथ राम वर्मा

दिनांक-06.03.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी पर दिनांक 12.12.2025 को तामीला पर्याप्त अवधारित किया जा चुका है, किन्तु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

2. यह स्थानान्तरण आवेदन, **न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०), कक्ष सं०-36, लखनऊ** में लम्बित **मूलवाद सं०-1538/2015** मंगला(स्व०) रंजीत आदि बनाम तीरथ राम, **न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), साउथ, लखनऊ** में लम्बित **प्रकीर्ण वाद सं०-73/2024** तीरथ राम बनाम रंजीत आदि अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० तथा **न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), हवाली, लखनऊ** में लम्बित **प्रकीर्ण वाद सं०-6053/2024** रंजीत आदि बनाम तीरथ राम वर्मा, अन्तर्गत धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, को उक्त न्यायालयों से किसी एक न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. स्थानान्तरण आवेदन में यह कथन किया गया है कि विपक्षी द्वारा अनुबंध निरस्तीकरण हेतु न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), हवाली, लखनऊ में मूलवाद सं०-1538/2015 मंगला आदि बनाम तीरथ राम वर्मा, योजित किया गया, जिसमें प्रतिवादी तीरथ राम द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद वादीगण की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त हो गया। किन्तु तीरथ राम द्वारा पत्रावली में विधि-विरुद्ध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रतिदावा का नम्बर 1538/2015 पढ़े जाने का आदेश पारित करा लिया। उक्त वाद वर्तमान में न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०) कक्ष सं०-36, लखनऊ में लम्बित है। आवेदकगण द्वारा विक्रय अनुबंध मय कब्जा निरस्त कराने हेतु मूलवाद सं०-168/2019 रंजीत आदि बनाम तीरथ राम वर्मा योजित किया गया, जो दिनांक 24.01.2023 को एकपक्षीय रूप से निर्णीत हुआ, जिसके विरुद्ध तीरथ राम वर्मा द्वारा प्रकीर्ण वाद सं०-73/2024 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० व धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय सिविल जज(जू०डि०) साउथ, लखनऊ में लम्बित है। मूलवाद सं०-1538/2015 की पत्रावली में अनियमितता के सम्बंध में आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता योजित किया गया, जो न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), हवाली, लखनऊ में लम्बित है। उक्त वादों में प्रश्नगत सम्पत्ति एक है, वादों में समान पक्षकार हैं तथा माँगा गया अनुतोष एक-दूसरे से सम्बंधित हैं। जिनका निर्णय एक-साथ किया जाना आवश्यक है। समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

4. स्थानान्तरण आवेदन पर **न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), साउथ, लखनऊ** के पीठासीन अधिकारी द्वारा आख्या दिनांकित 27.11.2025 प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रकीर्ण वाद सं०-73/2024 तीरथ राम वर्मा बनाम रंजीत आदि, उक्त न्यायालय में लम्बित होने तथा उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया।

5. इसी प्रकार, **न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०), कक्ष सं०-36, लखनऊ** के पीठासीन अधिकारी द्वारा आख्या दिनांकित 28.11.2025 प्रस्तुत की गयी, जिसमें **मूलवाद सं०-1538/2015** श्रीमती मंगला देवी बनाम तीरथ राम वर्मा, उक्त न्यायालय में लम्बित होने तथा उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया।

6. इसी प्रकार **न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), हवाली, लखनऊ** के पीठासीन अधिकारी द्वारा आख्या दिनांकित 13.02.2026 प्रस्तुत की गयी, जिसमें **प्रकीर्ण वाद सं०-6053/2024** उक्त न्यायालय में लम्बित

होने तथा उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया।

7. सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् परिशीलन किया।

8. आवेदक की ओर से यह स्थानान्तरण आवेदन, सन्दर्भित वादों में एक ही वादग्रस्त सम्पत्ति निहित होने तथा समान पक्षकार होने के आधार पर एक-साथ निस्तारण हेतु किसी एक न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों के अवलोकन से प्रकट होता है कि मूलवाद सं०-1538/2015 श्रीमती मंगला देवी व अन्य द्वारा तीरथ राम वर्मा के विरुद्ध भूमि खसरा सं०-426 स रकबा 1.0500 हे० स्थित-ग्राम-माती, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ के सम्बंध में विक्रय-अनुबंध दिनांकित 26.11.2011 के निरस्तीकरण हेतु न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), हवाली, लखनऊ में योजित किया गया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा आज्ञापक व्यादेश हेतु प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया, उक्त मूलवाद दिनांक 08.08.2023 को वादी की अनुपस्थिति में निरस्त हो गया तथा वाद में प्रतिवादी की ओर से उक्त आदेश दिनांकित 08.08.2023 के दुरूस्तीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सी-12 दिनांक 16.11.2023 को स्वीकार करते हुये प्रतिदावा का नम्बर 1538/2015 निर्धारित किया गया, जो वर्तमान में न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०), कक्ष सं०-36, लखनऊ में लम्बित होना कहा गया है। आवेदकगण द्वारा उक्त सम्पत्ति के सम्बंध में ही विक्रय अनुबंध दिनांकित 26.11.2011 के निरस्तीकरण हेतु न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), हवाली, लखनऊ में मूलवाद सं०-168/2019 योजित किया गया, जो दिनांक 24.01.2023 को न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०), कक्ष सं०-48, लखनऊ द्वारा एकपक्षीय रूप से आज्ञप्त किया गया, जिसके विरुद्ध विपक्षी तीरथ राम वर्मा द्वारा अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी०पी०सी० मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र प्रकीर्ण वाद सं०-73/2024 उक्त न्यायालय में योजित किया गया, जो वर्तमान में न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), साउथ, लखनऊ में लम्बित होना कहा गया है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा एक अन्य वाद प्रकीर्ण वाद सं०-6053/2024 अन्तर्गत धारा 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विपक्षीगण द्वारा न्यायालय में फर्जी वादपत्र शपथपत्र व अन्य कागजात प्रस्तुत किये जाने के सम्बंध में आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही हेतु, न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), हवाली, लखनऊ में योजित किया गया। चूँकि सन्दर्भित वाद एक-दूसरे से सम्बंधित है, अतः उक्त वादों का एक ही न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदैव, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत स्थानान्तरण आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

-:आदेश:-

तदनुसार प्रस्तुत स्थानान्तरण आवेदन स्वीकार किया जाता है। **न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), साउथ, लखनऊ** में लम्बित **प्रकीर्ण वाद सं०-73/2024** तीरथ राम बनाम रंजीत आदि तथा **न्यायालय सिविल जज(जू०डि०), हवाली, लखनऊ** में लम्बित **प्रकीर्ण वाद सं०-6053/2024 रंजीत आदि बनाम तीरथ राम वर्मा,** को उक्त न्यायालयों से विधि-अनुसार सुनवायी एवं निस्तारण हेतु **न्यायालय अपर सिविल जज(जू०डि०), कक्ष सं०-36, लखनऊ,** जहाँ तत्सम्बंधी मूलवाद सं०-1538/2015 लम्बित है, में स्थानान्तरित किया जाता है।

सर्वसम्बन्धित सूचित हों।

(मलखान सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.03.07 11:06:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court